भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2503**
09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

**मियाद अवधि समाप्त वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ**

**2503. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:**
**श्री नारणभाई काछड़ियाः**
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** देश में एक वर्ष में मियाद अवधि की समाप्ति वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की मात्रा कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** वस्तुओं की मियाद अवधि समाप्त हो जाने के कारण कंपनियों को कितना घाटा उठाना पड़ता है;

**(ग)** मियाद अवधि समाप्ति वाले खाद्यों का किस प्रकार उपयोग या निपटान किया जाता है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(घ)** क्या मियाद अवधि की समाप्ति वाले खाद्यों का किसी अन्य उद्देश्य हेतु पुनः उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

**(क) से (ग):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 'खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' के अंतर्गत अधिसूचित खाद्य संरक्षा व मानक (पैकिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 में यह प्रावधान किया है कि खाद्य पैकेटों पर "इस तारीख तक उपयोग करें" अथवा "उपभोग की निर्धारित अंतिम तारीख" अथवा "मियाद अवधि समाप्ति की तारीख" को दर्शाया जाना चाहिए जिसे, उस तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है जो किन्हीं भी भंडारण परिस्थितियों में अनुमानित अवधि की समाप्ति को प्रदर्शित करता है जिसके पश्चात खाद्य पदार्थ में गुणवत्ता और संरक्षा का वह स्तर नहीं रह जाता है जिसकी उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर अपेक्षा रहती है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ बेचे नहीं जाएंगे । तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मियाद अवधि समाप्त डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की मात्रा और उनके निपटान से संबंधित कोई आंकड़ा न तो इकट्ठा करता है न उसका रख-रखाव करता है ।

**(घ):** मियाद अवधि समाप्त हुए खाद्य पदार्थों को कम्पोस्टिंग और ऊर्जा के सृजन हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वे बॉयोमास से प्रचुर होते हैं ।

*****